समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला योजना कार्यालय)
-: निविदा आमंत्रण सूचना :-

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय स०वि०स०/स०वि०प० के द्वारा मधुबनी जिला अंतर्गत सौर ऊर्जा रौशनी के चार बॉह वाला सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्थनों पर अधिष्ठापन/आपूर्ति करने हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक :20/2/17 ... को अपराह्न 02:00 बजे तक सौर ऊर्जा रौशनी के चार बॉह वाला सोलर स्ट्रीट लाईट के निर्माता के अधिकृत एवं ख्याति प्राप्त विक्रेता से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक :20/2/17...... को अपराह्न 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समझ खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। सौर ऊर्जा रौशनी के चार बॉह वाला सोलर स्ट्रीट लाईट की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक :20/2/17.... को अपराह्न 01:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा www.prdbihar.gov.in and www.madhubani.bih.nic.in पर भी देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में जमा किया जाना है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. तकनीकी निविदा में 1,00,000/– (एक लाख) रूपया मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से देय एवं मधुबनी में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता/कम्पनी को आयकर एवं वाणिज्यकर से निबंधित होना अनिवार्य है।
3. कम्पनी को विगत तीन वर्षों में Turn over मो० 1,50,00,000.00 (एक करोड पचास लाख़) रूपये का होना अनिवार्य है। (वित्तीय वर्ष 2015–16, 2014–15 एवं 2013–14)
4. फर्म/कम्पनी के नाम पर गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
5. निविदादाता/कम्पनी M.N.R.E. का चैनल पार्टनर भारत सरकार को होना चाहिए।
6. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
7. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्ते मान्य है।
8. सामग्री BIS मार्का का होना चाहिए।
9. सौर ऊर्जा रौशनी के चार लाईट वाला खम्भा (Solar street light) सामग्री प्रतिष्ठित पंजीकृत कंपनी, द्वारा स्वीकृत दर होनी चाहिए।
10. निविदादाता/कम्पनी को अद्यतन वैट का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता/कम्पनी को आयकर, PAN No. निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा।
12. पूर्व में किये गये सरकारी संस्थानों में कार्य की आदेश कॉपी एवं कम से कम एक साल का अनुभव का प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है।
13. जिला में सौर ऊर्जा रौशनी के चार बॉह वाला सोलर स्ट्रीट लाईट सर्विस सेन्टर होना चाहिए।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्ते –

1. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सूची के अनुसार सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्ते –

1. जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में मुहरबंद निविदाऍ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
2. सौर ऊर्जा रौशनी के चार बॉह वाला सोलर स्ट्रीट लाईट पर अधिष्ठापन की तिथि से सोलर प्लेट 25 वर्ष, बैटरी एवं अन्य उपकरण की 05 वर्ष की गारंटी होनी चाहिए। इस अवधि के नियमित रख–रखाव व जॉच का पूर्ण दायित्व आपूर्त्तिकर्त्ता को होगा।
3. निविदादाता को विगत छः माह के अन्दर का आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो पुलिस अधीक्षक से प्राप्त हो।
4. तकनीकी निविदा के जॉचोपरांत निर्धारित मानक पर खरा उतरने के पश्चात ही निविदादाता को वित्तीय बीड खोला जायेगा।
5. निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा लिफाफ एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा निविदा लिफाफ अवश्य लिखा होना चाहिए। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।

6. क्रय समिति में चयनित निविदादाता को कोई अग्रिम नहीं दिया जायेगा। ससमय अधिष्ठापन/जॉच/गुणवत्ता के आधार पर राशि भुगतान की जायेगी।
7. जिले के विभिन्न सुदूर स्थानों पर भी सौर ऊर्जा रौशनी के चार बॉह वाला सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन कार्य निर्धारित समयपर करना होगा।
8. विभागीय मार्गदर्शन के आलोक में अधिष्ठापन प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरांत 90 प्रतिशत की राशि का भुगतान किया जायेगा एवं 10 प्रतिशत राशि 05 वर्ष की गारंटी अवधि समाप्ति पर कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरांत भुगतान किया जायेगा।
9. राशि का भुगतान जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी/संबंधित तकनीकी पदाधिकारी के स्थलीय जॉच प्रतिवेदन के आधार पर किया जायेगा।
10. वैट की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
11. एकरारनामा के साथ Performance Security Deposit (एकरारनामा की राशि का 05 प्रतिशत) बैंक गांरटी/NSC जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से प्लेज किया हुआ जमा करना होगा। जिसकी बैधता 180 दिनो की अवधि तक रहनी चाहिए। Security Money की वापसी कार्य समाप्ति के पश्चात की जायेगी।
12. बिना कारण बताए निविदा को स्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
13. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
14. एकरानामा के समय एक सिस्टम का पूरा नमूना के तौर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
15. विवाद की स्थिति में न्यायलय, मधुबनी का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
16. निविदादाता को दर अनुबंध में ही 05 वर्षो की वार्षिक रख–रखाव संविदा (A.M.C.) के अंतर्गत अधिष्ठापित सोलर लाईट का रख–रखाव करना होगा। जिसके अंतर्गत बैट्री में पानी (Electroyte) बदलना, सोलर पैनल की साफ, सफाई करना, Connection की जॉच करना, पोल/सिस्टम की सही स्थिति में बनाये रखना खराब समान बदलना इत्यादि शामिल है।

(घ) अन्य शर्तें –

1. माननीय स0वि0स0/स0वि0प0 के द्वारा अनुशसिंत योजनाएँ सौर ऊर्जा रौशनी के चार बॉह वाला सोलर स्ट्रीट लाईट का विवरणी जिला योजना कार्यालय, मधुबनी के किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।
2. सामग्री की आपूर्ति के क्रय में सामग्री के परिवहन में हुई किसी प्रकार की क्षति के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

सौर ऊर्जा रौशनी के चार बॉह वाला सोलर स्ट्रीट लाईट सिस्टम का मानक एवं मापदंड निम्प प्रकार से होना चाहिए।

1.	PV Module	130wp x 4 Pcs. Under STC (Min) warranted for a minimum period of 25 year from the date of supply.
2.	Battery	Approved Make : Luminous/Southern/Exide Lead acid tubular flooded or tubular GEL/VRLA 12V 120AH@C/10X4 PCS.
3.	Light Source	White Light emitting Diode (W-LED) – Approved Make-Bajaj or Equivalent. 30 watt (min.) x 4 Pcs, W-LED Luminary, dispersed beam, soothing to eyes with the use of proper optic and diffuser.
4.	Light Out Put	Minimum 16 Lux When measured at the periphery of 08 meter diameter from a height of 08 meter The Illumination should be uniform.
5.	Mounting of Light	Octagonal galvanized pole minimum 09 meter above ground level. Approved make :- Bajaj or Equivalent etc.
6.	Electronics Efficiency	Minimum 85% total
7.	Duty Cycle	Dusk to dawn
8.	Autonomy	02 days.

20/1/17

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।